उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग पर दिनांक 24-3-1983 को 12-00 बजे पूर्वान्ह में हुई उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1983 की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

(1)	श्री बी0जे0ओदायजी		अध्यक्ष
(2)	श्री राम पाल सिंह		सदस्य
(3)	श्री मीर मजहर अली	सदस्य विधान सभा	सदस्य
(4)	श्री माता प्रसाद	सदस्य विधान परिषद	सदस्य
(5)	श्रीमती दीपा कौल		सदस्या
(6)	श्री आर0एस0माथुर	सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग उ0प्र0शासन एवं आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
(7)	श्री एस0एन0माथुर	प्रभारी प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल निगम	सदस्य
(8)	श्री जे0पी0दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0	सदस्य

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्र0सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 26-2-83 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	तृतीय/(1)/83	परिषद की दिनांक 26-2-1983 को हुई बैठक के कार्यवाही की पुष्टि इस संशोधन के साथ की गयी कि मदें सं0-2 के क्रमांक-1 की नवीं पंक्ति में जहां ''टेकर'' लिखा है उसके स्थान पर ''ट्रेकर'' लिख दिया जाय।
2-	परिषद की बैठक दिनांक 26-2-83 की अनुपालन आख्या।	तृतीय/(2)/83	परिषद व्दारा दिनांक 26-2-1983 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित प्रस्तुत आख्या की विस्तृत समीक्षा की गयी और सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:- 1-सहायक निदेशक (प्रचार) के रिक्त पद को उप आवास आयुक्त(सं0प्र0 एवं प्रचार) के पदनाम में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में विस्तृत टिप्पणी परिषद की अगली बैठक में अवश्य रखी जाय। 2-कानपुर एवं वाराणसी इकाईयों के लिये विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों के पदों का सृजन शीघ्रातिशीघ्र कराकर इन पदों पर सुयोग्य अधिकारियों की तैनातियां करायी जायें। 3-पूर्व संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में मुरादाबाद एवं अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों व्दारा परिषद के आवास गृहों पर अनाधिकृत तथा विधि के विरुद्ध अतिक्रमण के संबंध में उपयुक्त निर्णय प्राप्त करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेशार्थ एक स्वत: स्पष्ट टिप्पणी का आलेख्य बनाकर शासन को भेजा जाय।

कृ0प0उ0

1	2	3	4
			यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद के अशासकीय सदस्यगण भी इस स्थिति को अनौपचारिक रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लायें ताकि इस समस्या का शीघ्र निराकरण हो सके।
			4- परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में 80 मध्यम आय वर्ग एम० ए०/75 प्रकार के भवनों के प्राविधिक परीक्षण के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन स्वरूप मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्तर पर लम्बित कार्यवाही अविलम्ब सम्पन्न करायी जाय और अनुपालन आख्या परिषद की अगली बैठक में रखी जाय।
			5- परिषद द्वारा निर्मित कालोनीज़ को स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में प्रत्येक कालोनी से सम्बन्धित विस्तृत टिप्पणी अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार तैयार कराकर परिषद की अगली बैठक के पूर्व उनके समक्ष रखी जाय ताकि माननीय आवास मंत्री जी की अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठक उनके द्वारा शीघ्र बुलायी जा सके।
			6- परिषद के लेखों के समायोजन तथा मिलान एवं लेखा मैनुअल तैयार करने के सम्बन्ध में अद्यावधि प्रगति की जानकारी परिषद को करायी गयी। परिषद ने निर्णय लिया कि प्रत्येक मास के लिये समस्त बिन्दुओं पर निश्चित एवं सुनियोजित कार्यक्रम बना लिया जाय और तदनुसार लेखों का समाधान कराया जाय और मासिक प्रगति से परिषद को प्रत्येक बैठक में अवगत कराया जाय।
			7- आगरा की कमला नगर आवासीय योजना में ग्राम-लश्करपुर की भूमि के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संदर्भ में आयुक्त आगरा मण्डल के स्तर पर आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी परिषद को करायी गयी। परिषद ने निर्णय लिया कि यदि आयुक्त आगरा मण्डल के स्तर पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन में कठिनाई हो तो मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर शीघ्र बैठक बुलवाकर इस मामले का निस्तारण कराया जाय।
			8- उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 में प्रस्तावित संशोधनों की एक संहत सूची अध्यक्ष, उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत की जाय ताकि वे उसे पुनरीक्षित कर परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत कर सकें।
			9- पिथौरागढ़, रानीखेत, मंसूरी, गोपेश्वर, हरिद्वार, मोदीनगर, काशीपुर तथा सुल्तानपुर नगरों की आवासीय योजना हेतु धारा-28 के प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत किये जायें।
			10- प्रशासनिक व्यय में कटौती किये जाने के संबंध में जो भी सूचना प्राप्त हो गयी है उसके आधार पर मुख्य अभियन्ता की अनुपस्थिति में प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर एवं वर्क्स एक्जामिनर और ज्येष्ठ लेखाधिकारी यह देख लें कि प्रशासनिक व्यय में किन-किन मदों में कटौती की जानी संभव है और अपनी संयुक्त आख्या परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत करें।

कृ०प०उ०

1	2	3	4
			11-चौक क्षेत्र लखनऊ में महात्मा गाँधी स्मारक अस्पताल के आस-पास की भूमि में परिषद की आवासीय योजना चलाये जाने के सम्बन्ध में परिषद व्दारा गठित उप समिति जो श्री माता प्रसाद, सदस्य परिषद की अध्यक्षता में है का निरीक्षण शीघ्र कराया जाय और उप समिति की रिपोर्ट परिषद की अगली बैठक में अवश्य रखी जाय। एतदर्थ गठित उप समिति में मुख्य अभियन्ता की अनुपस्थिति में प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर एवं वर्क्स एक्ज़ामिनर भाग लें।
			12-वर्ष-1976-77 तथा वर्ष-77-78 के पक्के चिट्ठे जो विधान मण्डल के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने थे के संदर्भ में अविलम्ब कार्यवाही की जाय और महालेखाकार, उ0प्र0 की रिपोर्ट व्यक्तिगत प्रयास के बावजूद न मिल रही हो तो इस स्थिति से महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को अवगत कराकर पूर्वप्रेषित रिपोर्ट की एक अधिकारिक प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाय।
			13-सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, कानपुर की भूमि के सम्बन्ध में इसका परीक्षण कर लिया जाय कि यदि उक्त भूमि बाज़ार दर पर अधिग्रहीत कर ली जाती है तो स्कीम वायबुल(VIABLE)होगी या नहीं और विस्तृत आख्या परिषद की अगली बैठक में रखी जाय।
			14-ग्रीन वर्ज में निर्माण की अनुमति देने के संबंध में प्रस्तुत मार्ग दर्शक सिद्धान्त स्वीकार किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद की जिन आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक और शैक्षिक सुविधायें योजना के ले-आऊट बनाते समय देना संभव नहीं हो पायी है उनमें से ग्रीन वर्ज से स्वीकृत मार्ग दर्शक सिद्धान्त के अनुसार भूमि देने पर विचार कर लिया जाये।
			15-दोहरीघाट रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना आज़मगढ़ में निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के संबंध में जिलाधिकारी, आज़मगढ़ व्दारा की गयी संस्तुतियाँ तथा इस सम्बन्ध में जिले के कतिपय विधायकों व्दारा की गयी संस्तुतियों पर विचार-विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि परिषद के निम्नलिखित सदस्यों की उप समिति स्थल का शीघ्र निरीक्षण करें और अपनी स्पष्ट संस्तुतियाँ इस योजना के संदर्भ में परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत करें:- 1- श्रीमती दीपा कौल 2- श्री मीर मज़हर अली 3- श्री माता प्रसाद 4- श्री राम पाल सिंह।
			16-उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद सहायक अभियन्ता सेवा विनियमावली-1973 को सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक)के लिये लागू करने हेतु विनियमावली का आलेख्य अविलम्ब तैयार किया जाय और परिषद के विचारार्थ अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
	(Cross Subsidy)		17-दुर्बल आय वर्ग हेतु जो भवन बनाये जा रहे हैं उनमें भूमि के मूल्य में वित्तीय अनुदान (GRASS SUBSIDARY) देनेके लिये एक विस्तृत टिप्पणी परिषद की अगली बैठक में रखी जाय।

क0प0उ0

1	2	3	4
			18- किस्त क्रय पद्धति पर आवंटित भवनों के किस्तों की वसूली की स्थिति सम्पत्ति के वर्गवार रखी जाय।
			19- वाह्य विद्युतीकरण हेतु उ॰प्र॰राज्य विद्युत परिषद के पास काफी दिनों से लम्बित धनराशि के बारे में लिये गये निर्णयानुसार अध्यक्ष, उ॰प्र॰आवास एवं विकास परिषद के स्तर पर प्रस्तावित बैठक शीघ्र करायी जाय और इस समस्या का निराकरण कराया जाय।
			20- परिषद व्दारा निर्मित सम्पत्ति तथा मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत सम्पत्तियों के बीच जो अन्तराल है उसे कम करने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाय और जो सम्पत्तियाँ पूर्ण दर्शायी गयी हैं उनका मूल्यांकन अभिलेख मूल्यांकन अधिकारी के पास मूल्यांकन हेतु अविलम्ब भेजा जाय ताकि सभी निर्मित सम्पत्तियों शीघ्र आवटन हो सके।
			21- मूलधन एवं व्याज की गणना अलग-अलग करके उनकी प्रविष्टियाँ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों में करने हेतु दिये गये परिषद निर्देशों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण ज्येष्ठ लेखाधिकारी शीघ्र ही करके परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत करें।
			22- परिषद के अशासकीय सदस्य श्री राम पाल सिंह व्दारा प्रस्तुत इस आशय के प्रस्ताव कि 2% भवन का आवंटन परिषद के अध्यक्ष के विवेक पर रखा जाय, का विस्तृत परीक्षण शीघ्र किया जाय और इस सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा पश्चिमी बंगाल हाऊसिंग बोर्ड व्दारा किये गये प्राविधान का अध्ययन कर लिया जाय और परिषद की अगली बैठक में रखा जाय।
			23- विकास कार्य कराते समय बरसाती पानी का निकास समतलीकरण तथा सड़क निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जाय और भविष्य में विकास कार्य के सम्बन्ध में जो विवरण प्रस्तुत किया जाय उसमें इंगित किया जाय कि विभिन्न कार्य किस स्तर पर हैं।
			24- लेखा मैनुअल तैयार करने के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लिया जाँय कि लेखा मैनुअल का कार्य किस निश्चित एजेन्सी व्दारा कराया जाना है और अगली बैठक में इसकी सूचना दी जाय।
			25- परिषद की वित्तीय स्थिति के पूर्ण अध्ययन के संबंध में हडको कन्सल्टेन्सी सर्विसिज़ की सेवायें प्राप्त की जाय जिसके लिये टर्म्स आफ रिफ्रेन्स बनाये जायें।
			26- विभागीय निर्माण इकाई/ खण्ड गोदामों में भूतपूर्व सैनिकों को संग्रहीत वेतन पर चौकीदार नियुक्त करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करके परिषद की अगली बैठक में रखा जाय।
3-	वर्ष-1982-83 का पुनरीक्षित एवं वर्ष-1983-84 का आय-व्यय।	तृतीय/(3)/83	वर्ष-1982-83 का पुनरीक्षित एवं वर्ष-1983-84 का आय-व्ययक परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से निम्न संशोधनों सहित आय व्ययक स्वीकृत किया:-

1- वर्ष-1982-83 के पुनरीक्षित लक्ष्य निम्न प्रकार रखे जाय:-

उच्च आय वर्ग	204
मध्यम आय वर्ग	984
अल्प आय वर्ग	1462

क्र॰प॰उ॰

1	2	3	4
			दुर्बल आय वर्ग/ सॉईट एवं सर्विसेज 9037 भूखण्ड 2000 अन्य 582 डिपाजिट कार्य 481 इसी लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये वृत्त/खण्ड/इकाई के लक्ष्य संशोधित हो जायेंगे।
			2- वर्ष-1983-84 के लिए लक्ष्य निम्न प्रकार रखे जायें:- उच्च आय वर्ग 400 मध्यम आय वर्ग 1200 अल्प आय वर्ग 2050 दुर्बल आय वर्ग/ साइट एण्ड सर्विसेज़ 10500 भूखण्ड 2400 अन्य 800 इसी लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये वृत्त/खण्ड/इकाई के लक्ष्य निर्धारित होंगे।
			3- प्राप्तियों में राज्य सरकार से ऋण व सीड कैपिटल के वर्ष-1982-83 के पुनरीक्षित अनुमान निम्न प्रकार रखे जायें:- राज्य सरकार से ऋण रु० 97.74 लाख सीड कैपिटल रु० 26.00 लाख
			4- वर्ष-1983-84 में विकास कार्य हेतु व्यय अनुमान रु० 861.85 लाख रखा जाय।
4-	प्रदिष्ट सम्पत्ति के परिवर्तन के सम्बन्ध में वर्तमान विनियम-35 को समाप्त कर उसके स्थान पर संशोधित विनियम का रखा जाना।	तृतीय/(4)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त प्रदिष्ट सम्पत्ति के परिवर्तन के सम्बन्ध में वर्तमान विनियम-35 के स्थान पर संशोधित विनियम-35 का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
5-	माल एवेन्यू योजना लखनऊ में निर्मित उच्च आय वर्ग भवन के आवंटन की प्रक्रिया।	तृतीय/(5)/83	माल एवेन्यू योजना, लखनऊ में निर्मित उच्च आय वर्ग भवन के आवंटन की प्रक्रिया की जानकारी परिषद को करायी गयी।
6-	आपसी वार्ता द्वारा भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(6)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। यह भी निर्णय लिया कि आपसी वार्ता द्वारा भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही धारा-28 के अन्तर्गत योजना की स्वीकृति व प्रकाशन के बाद ही की जाय। क्रय की जाने वाली भूमि के मूल्य का अनुमोदन कलेक्टर से अवश्य प्राप्त किया जाय।
7-	पाण्डेपुर योजना, वाराणसी में 25% शासन ऋण के अन्तर्गत प्रस्तावित दुर्बल आय वर्ग के 15/40	तृतीय/(7)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

कृ०प०उ०

1	2	3	4
	प्रकार के 260 भवनों का निर्माण।		
8-	कमला नगर योजना आगरा में रिक्त भवन सं०-डी०-579 ए० का प्रदेशन श्री ईश्वर लाल धनानी पंजीकरण सं०-ए०जी०/एल०-131.0(5)को करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(8)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि श्री ईश्वर लाल धनानी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में शासन के स्पष्ट आदेश प्राप्त किये जायें।
9-	श्रीमती लक्ष्मी सक्सेना को इन्दिरा नगर योजना में परिवर्तन के फलस्वरूप प्रदिष्ट भवन संख्या-1074 के विरूद्ध देय धनराशि को किस्तों में करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(9)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्रीमती लक्ष्मी सक्सेना को परिवर्तित भवन संख्या-सी०-1074 के विरूद्ध रु० 48268/= देय धनराशि उन से 2 वर्षों में 24 समान मासिक किस्तों में वसूल कर ली जाय।
10-	परिषद की अँगूरीबाग योजना फैजाबाद के अन्तर्गत श्री गिरजेश चन्द्र पाण्डे को नकद क्रय पद्धति पर प्रदिष्ट भवन संख्या-147 के भुगतान विकल्प परिवर्तन का किया जाना।	तृतीय/(10)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया।
11-	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद भवनों/भूखण्डों हेतु पंजीकरण प्रदेशन विनियमावली 1979 के विनियम-32 में संशोधन।	तृतीय/(11)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विनियम-32(3)निम्नवत् जोड़ा जाय:- ""परिषद व्दारा तत्समय निर्धारित नीति के अनुसार आवास आयुक्त व्दारा किसी सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति समूह को आंशिक रूप से अथवा पूर्ण नकद पद्धति पर आवंटन करने का अधिकार होगा।
12-	पुठनपुर भूमि विकास योजना सं०-1 में 24 दुकानों का निर्माण।	तृतीय/(12)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
13-	शिक्षण संस्थाओं को परिषद व्दारा भूमि दिये जाने के संबंध में।	तृतीय/(13)/83	शिक्षण संस्थाओं को परिषद व्दारा भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शिक्षण संस्थाओं को भूमि दिये जाने के बारे में परिषद की समिति में परिषद की ओर से निम्नलिखित 2 सदस्य भाग लेंगें:- 1- श्रीमती दीपा कौल 2- श्री राम पाल सिंह
14-	श्री करन सिंह को लखनऊ तथा श्री लालता प्रसाद अग्रवाल को बरेली आवास योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग का भवन प्रदिष्ट करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(14)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इन दोनों मामलों तथा ऐसे अन्य मामले यदि कोई हो तो उनमें परिषद के संकल्प संख्या-45 दिनांक 2-9-1982 के अनुसार कार्यवाही न कर पूर्व निर्णय के अधीन अन्तिम निर्णय ले लिया जाय।

कृ०प०उ०

1	2	3	4
15-	श्री ओ०पी०शर्मा, प्रशासक नगर महापालिका, मेरठ को परिषद की इन्दिर नगर योजना लखनऊ प्रदिष्ट भुखण्ड सं०-बी. 74 के विरुद्ध लगाये गये दण्ड व्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(15)/83	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुये दण्ड व्याज माफ कर दिया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद की आगामी बैठक दिनांक 17-5-83 को परिषद मुख्यालय पर 10-30 बजे पूर्वान्ह में होगी। उक्त बैठक के एक दिन पूर्व दिनांक 16-5-83 को 10-30 बजे पूर्वान्ह परिषद मुख्यालय पर अनुश्रवण समिति की बैठक की जायेगी।

बैठक अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करते हुये समाप्त की गयी।

—

पुष्टि की गयी
[signature]
17/5/1983
अध्यक्ष